कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

E-mail - eecdpwd_uki@rediffmail.com

Phone/Fax No. - 01371-237084

पत्रांक 1731/ 1सी0

दिनांक – 26/11 /2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,

उत्तरकाशी वन प्रभाग,

उत्तरकाशी।

विषयः **जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत मरगांव– जसपुर– चमियारी से उलण तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.879 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण की संशोधित के0एम0एल0 प्रेषण के सम्बन्ध में।** (प्रपोजल नं० FP/UK/ROAD/20224/2016)

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना हैं कि उक्त मार्ग निर्माण का प्रस्ताव वर्ष 2016 में तैयार किया गया था। जिस समय वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव की के0एम0एल0 तैयार की गई थी। उस समय के0एम0एल0 बनाने के लिये Garmin 72 जी0पी0एस0 का उपयोग किया गया था। उक्त जी0पी0एस0 की यथार्थता कम होने के कारण ऐसा सम्भावित है कि उस जी0पी0एस0 द्वारा बनाये गये ट्रैक से बनायी के0एम0एल0 एवं वर्तमान में वास्तविकता के आधार पर मोटर मार्ग के जिन स्थानों पर सीमांकन पिलर तथा जिसके अन्दर पेडों का पातन हुआ है में विचलन हुआ है।

अतः वर्तमान में वास्तविकता के आधार पर संशोधित के0एम0एल0 संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न– के०एम०एल० फाईल।

प्रभारी अधिशासी अभियंता,
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

पत्रांक 1731/ 1सी0 दिनांक 26/11/24

प्रतिलिपि – सहायक अभियन्ताा, प्रथम निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चिन्यालीसौड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभारी अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)
Phone/Fax No. - 01371-237084
E-mail - eecdpwd_uki@rediffmail.com

दिनांक 24 / 09 / 2024

पत्रांक 1397/3 ब्लॉ०ए०

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।

विषय : राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के राज्य योजना के अन्तर्गत मरगांव–जसपुर–चमियारी से उलण मोटर मार्ग का नव निर्माण 9.00 किमी0 लम्बाई हेतु 4.879 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में। (ऑनलाइन प्रपोजल नं० FP/UK/ROAD/20224/2016)

संदर्भ :– आपका पत्रांक 4486 / 12–1, कोटबंगला दिनांक 20.06.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि 05 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त भी विधिवत् स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण एन०पी०वी० की संशोधित दरों की अतिरिक्त धनराशि जमा कर चालान सहित सूचना आपको प्रेषित की जा रही है।

क्र०सं०	शर्तो / प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन संख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कार्य करने की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3 (क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 9.758 हे० ग्राम इन्द्रा की सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 9.758 है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रू0 2719213.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है व विषयगत मार्ग हेतु ली गयी 4.879 है0 वनभूमि के सापेक्ष दोगुने क्षेत्रफल 9.758 है0 हेतु चयनित स्थल ग्राम इन्द्रा तहसील चिन्यालीसौड़ खसरा संख्या 1727, 1749 व 1750 रकवा क्रमशः 0.989, 4.127 व 4.642 है0 में से 9.758 है0 सिविल सोयम भूमि वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम अमलदरामद कर दिया गया है।
(ख)	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण / नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ०सी०ए०, 1980 की guideline के para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष	इस शर्त के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को राजस्व विभाग के द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण / नामान्तरण किया जा चुका है। (खतौनी की नकल संलग्न है।)

	में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	
(ग)	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।	पार्श्व शर्त का अनुपालन प्रभगीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग द्वारा किया जाना है।
4.	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो पतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक असुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	इस भार्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेसी द्वारा रू० 41,22,755.00 एन०पी०वी० की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। (संलग्न चालन, ऑनलाइन चैक, आई०) पुनः वर्तमान दरों पर एन.पी.वी. की संशोधित धनराशि रू० 2185061.00 की चालान द्वारा उत्तराचंल कैम्पा के खाता संख्या 150896120224977 **Union Bank of india FSC Centre, 21/1 III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027** में जमा कर दी गई है।
5.	**शुद्ध वर्तमान मूल्य**	
(क)	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2022, 01. 08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ०सी० (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/ 2006–एफ०सी० दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 9.758 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगीं।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मा० उच्चत्तम न्यायालय के निर्देशानुसार इस प्रस्ताव के तहत 9.758 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य के तहत रू० 2185061.00 की धनराशि उत्तराचंल कैम्पा के उत्तराचंल कैम्पा **Union Bank of india FSC Centre, 21/1 III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027** के अन्तर्गत UTTARANCHAL, CAMPA के खाता संख्या – 150896120224977 में रू0 2185061.00 के खाते में जमा करा दी गयी है। (जमा चालान की छायाप्रति संलग्न)
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त, अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो तो उसका भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका प्रमाण पत्र दिया गया है जो कि संलग्न कर प्रेषित है।
6.	प्रयुक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि से पेड़ों की कटाई को न्यूनत्तम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 37 चीड़ वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास करेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

7.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) द्वारा चालान तैयार कर रू० 2185061.00 की धनराशि उत्तराचंल कैम्पा **Union Bank of india FSC Centre, 21/1 III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027** के अन्तर्गत UTTARANCHAL, CAMPA के खाता संख्या – 150896120224977 मे रू0 2185061.00 के खाते में जमा करा दी गई है। (जमा पर्ची संलग्न)
8.	गाईड़लाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9.	एफ०आर०ए० 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन एफ०आर०ए० 2006 का प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति) संलग्न कर प्रेषित है।
10.	प्रयोक्ता अभिकरण आई०आर०सी० मानदण्ड़ों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
11.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
12.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1988 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृत यदि लागू ही प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
13.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14.	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषत वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16.	सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा की परियोजना लागत पर आर०सी०सी० पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward Bearings अंकित हो।	मार्ग के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि उपयोग में न लाये जाने के कारण प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा सीमांकन हेतु धनराशि की मांग नही की गयी है।
17.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

	जाएगा।	
19.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के विना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कारवाई होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21.	पर्यायवरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
22.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र में स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
24.	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https:// parivesh-nic/in/) पर अपलोड होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या आवश्यक प्रपत्रों/अभिलेखों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पर अपनी संस्तुति उपरान्त नोड़ल कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(इं० मनोज दास)
अधिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. अपर मुख्य वन संरक्षक नोडल कार्यालय भूमि संरक्षण निदेशालय इन्दिरानगर देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता छठा वृत्त लो०नि०वि०, उत्तरकाशी।
3. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त मुनि की रेति, ऋषिकेश।
4. सहायक अभियन्ता, प्रथम निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चिन्यालीसौड।

अधिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूली कर नामित बैंक में जमा की जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन हेतु एफ०आर०ए० 2006 का प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति) संलग्न कर प्रेषित है।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।	चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।	चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी का अनुपालन किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगे कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र में स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति न होने का अनुपालन किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यायवरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–एफ०सी० दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

<u>प्रमाण – पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के इस अनुसार केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के इस अनुसार वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नही किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।	चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।	चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यायवरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यायवरणीय स्वीकृति प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार कर दिया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

9 PM

about:blank

MNP (14)

Bill Type : Normal

Print Date - 3-8-2024

Transaction ID · W04100423407241007

E-Sign

आकस्मिक देयक प्रपत्र

वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग -१

(देखे अध्याय - आठ , प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

1 - जनपद का नाम : उत्तरकाशी

2- कोषागार का नाम : उत्तरकाशी

3- देयक की अवधि कब से .... कब तक

4- रिकार्ड कोड: 1 0 3

5- कोषागार/उपकोषागार का कोड: 4 1 0 0

6- देयक पंजी की क्रम संख्या: 0 0 0 1 9 4

7- वाउचर संख्या (कोषागार द्वारा भरा जाना है): B 5 0 5 4 0 0 0 1

वाउचर दिनांक: 0 1 0 8 2 4

लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण

मुख्य लेखाशीर्षक -	(5054)सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
उप मुख्य लेखा शीर्षक -	(04)जिला तथा अन्य सड़के
लघुशीर्षक -	(337)सडक निर्माण कार्य
उपशीर्षक -	(03)राज्य सेक्टर
ब्योरेवार शीर्षक -	(04)एन0पी0वी0 का भुगतान / भूमि अधिग्रहण

8- मतदेय/भारित : मतदेय

9- लेखाशीर्षक सम्बन्धी 13 अंको का कोड (4 मुख्य लेखाशीर्षक + 2 उपमुख्य शीर्षक +3 लघुशीर्षक+2 उपशीर्षक+2 ब्योरेवार शीर्षक): 5 0 5 4 0 4 3 3 7 0 3 0 4 5 4

10-आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम : अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 उत्तरकाशी

11- आहरण वितरण अधिकारी का कोड: 4 2 3 4

12- अधिष्ठान का नाम : अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 उत्तरकाशी

13- अनुदान संख्या :(022)लोक निर्माण कार्य Connect अनुदान संख्या

14- सोर्स कोड :1

15- सेक्टर कोड :2

16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)

वजट की वर्तमान स्थिति

मानक मद का नाम व कोड	आवंटित कुल वजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष वजट
54-भूमि क्रय	8435129	4683796	3751333

भुगतान का विवरण

मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	21,85,061
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	**21,85,061**

ONLY FOR OFFICIAL USE

कटौतियों का कोड सहित विवरण

77- सम्पूर्ण कटौतियां	-
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77	**21,85,061**

प्रमाणित किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद देयक प्रथमबार प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Executive Engineer
Construction Division P.W.D
Chinyalisaur (Uttarkashi)

DA/DAO III/DAO I/
Constn. Division P.W.D.
Chinyalisour (Uttarkashi)

नियंत्रक/प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर (केवल काउन्टरसाइन्ड कंटीजैंसी के प्रकरण में ही लागू होगा)

(पदनाम एवं/कार्यालय की मुहर)

कोषागार/उपकोषागारों के प्रयोग हेतु

धनराशि रू0 21,85,061 (Rupees Twenty One Lacs Eighty Five Thousand Sixty One Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।

संक्रमण द्वारा रू0 -

सकल धनराशि रू0 21,85,061

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

Sl. No.	Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
1	OP4100423407241005 Mr Uttaranchal Campa	Saving	UBIN0996335	150896120224977	2185061	0	0	2185061
					2185061	**0**	**0**	**2185061**

Scanned with OKEN Scanner

Ch. / मरगाँव-जसपुर-चमियारी से उलण मोटर मार्ग

Passed for Rs. 2185061/-

सहायक अभियन्ता
नि० ख० लो० नि० वि०
चिन्यालीसौड़

FORM 28 HAND RECIEPT

(See Chapter X, Paragraphs 204, 290 & 304)

सहायक अभियन्ता
नि० ख० लो० नि० वि०
चिन्यालीसौड़

Cash Book Voucher .... Date ....

(1) Pay by Cheque/Cash Rs. (21,85061=00) (इक्कीस लाख पिच्यासी हजार इकसठ मात्र)

to Shri ...... उत्तरांचल वैम्पा

(2) Paid by me ....

RECEIVED from the अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो० नि० वि० in charge of चिन्यालीसौड़

Sub-Division सहायक अभियन्ता Division the sum of Rs. ( ) 21,85061=00

Name of Work of purpose for which payment is made जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के मरगाँव-जसपुर-चमियारी से उलण मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु [illegible] हे० वन भूमि

Verified for Rs. हस्तान्तरण हेतु।

Amount in Voucher

S.D.O.

Signature of payee

Deepak R. Dhi...

एन० पी० वी० की धनराशी — 21,85,061=00

V.S. for Rs. 2185061.00

[signature]

E.E. Eng.

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 29-07-2024

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6120224977
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/03/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division PWD, ChinyalisaurUttarkashi
Amount(in Rs)	2185061/-

Amount in Words :Twenty-One Lakh Eighty-Five Thousand and Sixty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896120224977 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 29-07-2024

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6120224977
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/03/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction Division PWD, Chinyalisaur Uttarkashi
Amount(in Rs)	2185061/-

Amount in Words :Twenty-One Lakh Eighty-Five Thousand and Sixty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896120224977 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Scanned with OKEN Scanner